मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6—7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 117/2024

दिनेश कुमार पुत्र रघुवीर जाति धानक निवासी वार्ड नंबर 14, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

वादी

ब ना म

1. रघुवीर पुत्र गोपालराम जाति धानक निवासी वार्ड नंबर 14, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2. सुनीता देवी पुत्री रघुवीर जाति धानक निवासी वार्ड नंबर 14, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3. रजनी पुत्री रघुवीर जाति धानक निवासी वार्ड नंबर 14, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

4. मैना पुत्री रघुवीर जाति धानक निवासी वार्ड नंबर 14, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

5. रेखा पुत्री रघुवीर जाति धानक निवासी वार्ड नंबर 14, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :— 27/8/25

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से श्री बलवीर मॉयल अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि —

वादी को चक 13 पीबीएन तहसील पीलीबंगा के खाता सं. 65 के प.नं. 31/308 की कुल 2.530 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम [illegible] 1265 हिस्सा का **खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है** [illegible]

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि [illegible] वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा [illegible] किसी भी न्यायालय [illegible] स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27/8/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:03 IST
Reason: SelfAttested